"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 188] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 31 मई 2018 — ज्येष्ठ 10, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 मई 2018

अधिसूचना
सं. 24/2018–राज्य कर

क्रमांक एफ–10–25/2018/वाक/पांच(39). — छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 83 के उपनियम(3) के साथ पठित छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नार्कोटिक्स अकादमी, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को, उक्त उपनियम के अनुसार परीक्षा संचालित करने के लिए प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., राज्य कर आयुक्त एवं विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 28 मई 2018

क्रमांक एफ–10–25/2018/वाक/पांच(39). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड(3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10–25/2018/वाक/पांच(39), दिनांक 28–05–2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., राज्य कर आयुक्त एवं विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 28th May 2018

NOTIFICATION
No. 24/2018 – Central Tax

No. F-10- 25 /2018/CT/V (39). — In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) read with sub-rule (3) of rule 83 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, on the recommendations of the Council, the National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics, Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India is hereby notified as the authority to conduct the examination as per the said sub-rule.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SANGEETHA P., State Tax Commissioner and Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2018.